

वर्ष 2017 (as on 01.01.2018) के लिये अचल सम्पत्ति का विवरण

अधिकारी का पूरा नाम	:	श्री जय प्रकाश पाण्डेय	संबंधित सेवा	:	आई.आर.ए.एस.	ग्रुप (A or B)	A
वर्तमान पद जिस पर वह कार्यरत है	:	प्र.वि.स.	मूल वेतन ₹०	:	₹० 211300		
जिला मंडल तालुका एवं गांव का नाम जहाँ पर सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम एवं पूर्ण विवरण घर एवं भूमि अन्य भवन।	वर्तमान मूल्य	यदि उसके स्वयं के नाम सम्पत्ति नहीं है तो जिसके नाम से सम्पत्ति है सरकारी अधिकारी से उसका संबंध बताएँ।	यदि सम्पत्ति कय, पट्टे, गिरवी, उत्तराधिकार उपहार अथवा अन्य श्रोत से उपार्जित की गई है तो उनके दिनांक सहित विवरण दें।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	क्या सक्षम अधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर सम्पत्ति प्राप्त की गई है, यदि ऐसा है तो पत्र संख्या एवं दिनांक का उल्लेख करें।	
1	2	3	4	5	6	7	
1. ग्राम-डुमराँव परगना एवं जिला मऊ, उत्तर प्रदेश	1. गाँव में लगभग चार बीघा कृषि योग्य भूमि ** 2. आम का बागीचा 0.848 एकड़ 3. गाँव में लगभग 6.50 एकड़ कृषि योग्य भूमि 4. गाँव में एक कच्चा मकान कोर्ट यार्ड सहित 5. मेरे गाँव में एक मकान तथा मकान से लगी जमीन	बाजार मूल्य पर निर्भर।	मकान, भूमि तथा आम का बागीचा संयुक्त रूप से स्वयं एवं दो भाइयों के बीच साझे में।	पैतृक सम्पत्ति	कुछ नहीं		
2. गोरखपुर	इरवो से स्वयं का क्रय किया हुआ आवासीय मकान लगभग ₹० 5.5 लाख प्लॉट 2005 वर्ग फीट निर्मित क्षे. 835 वर्गफीट	बाजार मूल्य पर निर्भर	स्वयं का		₹ 4000/- प्रतिमाह	विसमुलेधि/प्रशा./पूर्वोत्तर रेलवे के पत्रांक प्रशा./पीसी/भनिअ/98/जेपी पाण्डेय दिनांक 16.4.2001 के द्वारा अनुमति प्राप्त है	
3. गाजियाबाद	एच आई जी फ्लैट यू.जी.-1, प्लॉट नं०-20, शालीमार गार्डन एवटेशन-1 गाँव पसौन्दा परगना-लोनी, जिला-गाजियाबाद	50 लाख (क्रय के समय)	स्वयं का	क्रय से	कुछ नहीं	महापबंधक कारगिक/कोर के पत्रांक E/PC/GAZ/1468 दिनांक 10/10/2013 के द्वारा अनुमति प्राप्त कर।	
4. गोरखपुर	इरवो का आवासीय मकान	बाजार मूल्य पर निर्भर	मकान संयुक्त रूप से स्वयं एवं दो भाइयों के बीच साझे में।	पैतृक सम्पत्ति	कुछ नहीं		

जो खंड लागू न हो उन्हें काट दें। यदि कहीं सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य का सही आंकलन संभव न हो तो वर्तमान परिस्थितियों में उसका अनुमानित मूल्य का उल्लेख किया जाए। इसमें अल्पकाल पट्टे को भी शामिल करें।

टिप्पणी: इस घोषणा पत्र में अपने अथवा अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के स्वामित्व, उपार्जित पट्टे पर अधिकार में की गई अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त सभी अचल सम्पत्तियों का विवरण देते हुए सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय तथा उसके बाद प्रत्येक बारह महीनों के अंतराल पर भरकर जमा करना अपेक्षित है कोई परिवर्तन नहीं अथवा पिछले वर्ष जैसा अभ्युक्ति से बचें।

** उक्त कृषि योग्य भूमि से खसरा सं. 212 क्षेत्रफल 0.0580 हेक्टेयर का 1/3 भाग का विक्रय कर दिया गया है, जिसका प्रशासन ने पत्र सं.

2017/उमरे/लेखा/प्रशा./राज/अचल सम्पत्ति दिनांक 27.11.2017 द्वारा ट्रांजैक्शन नोट कर लिया है।

JW 10/11/18
जय प्रकाश पाण्डेय

प्रधान वित्त सलाहकार